बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– रा०कृ०वि०यो०को०–29/2018– 4398 /कृ0,पटना, दिनांक 24/12/,2018

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 1901.00 लाख रूपये (उन्नीस करोड़ एक लाख रूपये) {केन्द्रांश 1140.60 लाख रूपये (ग्यारह करोड़ चालीस लाख साठ हजार रूपये) एवं राज्यांश 760.40 लाख रूपये (सात करोड़ साठ लाख चालीस हजार रूपये)} के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश – स्वीकृत।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 1901.00 लाख रूपये (उन्नीस करोड़ एक लाख रूपये) {केन्द्रांश 1140.60 लाख रूपये (ग्यारह करोड़ चालीस लाख साठ हजार रूपये) एवं राज्यांश 760.40 लाख रूपये (सात करोड़ साठ लाख चालीस हजार रूपये)} के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. भारत सरकार के पत्रांक–7–1/2018–RKVY दिनांक–14.05.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार अंतर्गत केन्द्रांश मद में कुल 121.43 करोड़ रू० (सामान्य 81.77 करोड़, अनुसूचित जाति 36.46 करोड़ एवं अनुसूचित जनजाति 3.20 करोड़) उद्व्यय संसूचित किया गया है। उक्त उद्व्यय के आलोक में विभागीय पत्र संख्या–4065 दिनांक–30.07.2018 के द्वारा कृषि विभाग के लिए केन्द्रांश मद में कुल 49.23 करोड़ रू० (सामान्य 33.15 करोड़, अनुसूचित जाति 14.78 करोड़ एवं अनुसूचित जनजाति 1.30 करोड़) कर्णांकित किया गया है।

3. वित्तीय वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार अंतर्गत केन्द्रांश मद में उद्व्यय का 50 प्रतिशत भारत सरकार के पत्रांक–1–4/2018–RKVY/1 दिनांक–07.09.2018 द्वारा सामान्य के लिए 40.89 करोड़ रू०, भारत सरकार के पत्रांक–1–4/2018–RKVY/2 दिनांक–07.09.2018 द्वारा अनुसूचित जाति के लिए 18.23 करोड़ रू० एवं भारत सरकार के पत्रांक–1–4/2018–RKVY/3 दिनांक–07.09.2018 द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए 1.60 करोड़ रू० कुल 60.72 करोड़ रूपये विमुक्त किया गया है।

4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार अंतर्गत कार्यक्रम निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रू० में)

क्र०	कार्यक्रम	सहायता दर	इकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	श्री विधि प्रत्यक्षण	रू० 3600/- प्रति एकड	एकड़	25000	900.00
2	संकर धान प्रभेदों का बीज वितरण कार्यक्रम	रू० 100/– प्रति कि०ग्रा० अथवा लागत का 50% जो भी कम हो	क्वीं०	5660	566.00
	विशेष फसल उत्पादन कार्यक्रम अनु०जाति/अनु०जनजाति के लिए				
3	जीरो टिलेज से गेहूँ का प्रत्यक्षण	रू० 3600/- प्रति एकड	एकड़	3750	135.00

4	गेहूँ प्रभेदों का बीज वितरण कार्यक्रम (10 वर्ष से कम)	रू० 20/– प्रति कि०ग्रा० अथवा लागत का 50% जो भी कम हो	क्वी०	10000	200.00
5	आकस्मिकता				100.00
कुल					1901.00

5. राज्यादेश के साथ संलग्न अनुसूची की विवरणी निम्न प्रकार है:–

i. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार (वित्तीय वर्ष 2018–19) अंतर्गत जिलावार/मदवार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरण अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

ii. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार (वित्तीय वर्ष 2018–19) अंतर्गत जिलावार/मदवार/कोटिवार वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है।

iii. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार (वित्तीय वर्ष 2018–19) अंतर्गत श्री विधि से धान प्रत्यक्षण का जिलावार/मदवार/कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–3 के रूप में संलग्न है।

iv. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार (वित्तीय वर्ष 2018–19) अंतर्गत संकर धान बीज वितरण का जिलावार/मदवार/कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–4 के रूप में संलग्न है।

v. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार (वित्तीय वर्ष 2018–19) अंतर्गत जीरो टिलेज से गेहूँ प्रत्यक्षण का जिलावार/मदवार/कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–5 के रूप में संलग्न है।

vi. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार (वित्तीय वर्ष 2018–19) अंतर्गत गेहूँ प्रभेदों का बीज वितरण कार्यक्रम (10 वर्ष से कम) का मदवार/कोटिवार वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–6 के रूप में संलग्न है।

vii. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार (वित्तीय वर्ष 2018–19) अंतर्गत गेहूँ प्रभेदों का बीज वितरण कार्यक्रम (10 वर्ष से कम) का जिलावार/मदवार/कोटिवार वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–6 (क) के रूप में संलग्न है।

viii. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार (वित्तीय वर्ष 2018–19) अंतर्गत आकस्मिकता का मदवार/कोटिवार वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–7 के रूप में संलग्न है।

6. **फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन :–**

(i) प्रत्यक्षण के लिये क्लस्टर का न्यूनतम रकवा यथासंभव 25 एकड़ का होगा। प्रत्यक्षण स्थल पर पर्याप्त सिंचाई सुविधा हो एवं जहाँ तक संभव हो यह सड़क के किनारे अवस्थित हो।

(ii) चयनित कलस्टर के सभी इच्छुक कृषकों को कम से कम 25 डिसीमल तथा अधिक–से–अधिक एक एकड़ क्षेत्र के लिए प्रत्यक्षण का लाभ देय होगा। जिन कृषकों का एक एकड़ से अधिक जमीन कलस्टर में आता हो उनको अन्य कार्यक्रमों से लाभान्वित किया जायेगा।

(iii) चयनित कलस्टर के सभी कृषक इस कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे।

(iv) किसानों के पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड अवश्य होना चाहिए। यदि नहीं है तो प्रत्यक्षण से पूर्व मिट्टी की जाँच कराकर SHC निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

(v) चयनित किसान के द्वारा भूमि, श्रम, सिंचाई सुविधा एवं प्रत्यक्षण मॉडल के अनुरूप आपूर्ति किये उपादानों के अतिरिक्त अन्य उपादान, जो प्रत्यक्षण के लिए आवश्यक है, उपलब्ध कराना होगा।

(vi) कृषकों के चयन में यह ध्यान रखा जायेगा कि पूर्व के वर्षों में इस योजना अन्तर्गत लाभान्वितों का चयन वर्त्तमान वर्ष में नहीं किया जाय। उदाहरणस्वरूप यदि पिछले वर्षो के अधीन जिन ग्रामों में इस मद का प्रत्यक्षण हुआ है इस वर्ष इससे भिन्न ग्रामों का चयन किया जाय।

(vii) प्रत्यक्षण कार्यक्रमों के लिए कृषि निदेशालय, बिहार के ज्ञापांक–2573 दिनांक–11.05.2018 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए प्रत्यक्षण मॉडल उपलब्ध कराया गया है। इस मॉडल के अनुसार उपादानों का वितरण किया जायेगा। जिस मॉडल में सूक्ष्म पोषक तत्व/कीटनाशी/खरपतवारनाशी आदि के संदर्भ में किसी कृषि रसायन/जैव उर्वरक के नाम का उल्लेख नहीं है ऐसे मॉडल के लिए स्थानीय स्थिति के अनुरूप सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण/कृषि विज्ञान केन्द्र की सलाह से आवश्यक रसायन/जैव पदार्थ जिला कृषि पदाधिकारी लाभान्वित कृषकों को उपलब्ध करायेंगे।

(viii) प्रत्यक्षण कार्यक्रम अंतर्गत उपादानों का वितरण कार्यक्रम यथासंभव बामेती/आत्मा द्वारा आयोजित प्रखंड स्तरीय शिविर में किया जायेगा। यदि किसी कारणवश कुछ किसान शिविर में उपादानों का क्रय नहीं कर पाते हैं तो जिले में अनुज्ञप्ति प्राप्त कृषि उपादान विक्रेताओं से उपादान क्रय कर सकते है। शिविर में प्रत्यक्षण मॉडल एवं प्रखंडवार लक्ष्य के अनुसार गुणवत्तायुक्त उपादानों की व्यवस्था की पूर्ण जबाबदेही जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी की होगी। जिला कृषि पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक शिविर में अधिक–से–अधिक बिक्रेता उपस्थित रहें ताकि आपसी प्रतिस्पर्धा बनी रहे एवं किसानों को इसका लाभ मिल सके।

7. **अनुदानित दर पर बीज वितरण** :– उप निदेशक (शष्य) बीज, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार अनुदानित दर पर बीज के वितरण की प्रक्रिया अपनायी जायेगी परन्तु अनुदान का दर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार के लिए निर्धारित दर के अनुसार होगा।

8. **आकस्मिकता**– दिनांक–20.08.2018 को आयोजित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में कृषि प्रक्षेत्र के लिए आकस्मिकता मद में स्वीकृत 100.00 लाख रू० का व्यय प्रशासकीय/आकस्मिकता मद में एवं फाइनांसियल कन्सलटेंट के मानदेय भुगतान हेतु किया जायेगा।

9. कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के पत्र संख्या–4029 दिनांक–26.07.2018 के द्वारा हरित क्रांति उप योजना का निर्गत विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार के भी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जायेगा।

10. यदि किसी घटक का अनुदान स्वीकृत्यादेश में निर्धारित अनुदान राशि से कम है तो स्वीकृत वित्तीय लक्ष्य की अधिसीमा अंतर्गत भौतिक लक्ष्य में वृद्धि कर कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जायेगा।

11. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित कार्यक्रमों को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक 20.08.2018 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है।

12. उक्त योजना से लाभान्वित कृषकों, जिनका बैंक में खाता खुल चुका है, को अनुदान की राशि/लाभ DBT (Direct Benefit Transfer) Programme के तहत सीधे बैंक खाता में अंतरित किया जायेगा। जिन कृषकों का अभी तक बैंक में खाता नहीं खुला है, उनका बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य है। इन कृषकों का बैंक खाता खुल जाने के उपरांत इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

13. (क) अनुसूची–3, 4, 5 एवं 7 के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी होंगे। स्वीकृत राशि की निकासी जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा संबंधित कोषागार से की जायेगी।

(ख) अनुसूची–7 में निदेशक बामेती, बिहार, पटना को कर्णांकित मद की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार, पटना होंगे। स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा संबंधित कोषागार से की जायेगी तथा बामेती के पी०एल०ए० खाता संख्या–278 में अंतरित की जायेगी।

(ग) अनुसूची–6 की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा जिला कृषि पदाधिकारियों से प्राप्त फसलवार बीज वितरण प्रमाण पत्र/प्रतिवेदन के आधार पर किया जायेगा एवं इसे बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

14. प्रशासी विभाग के द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य संशोधन किया जा सकेगा।

15. योजना का कार्यान्वयन विभाग द्वारा निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश तथा भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुसार किया जायेगा। कार्यान्वयन अनुदेश में आवश्यकता होने पर आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

16. जिला कृषि पदाधिकारी/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार के लिए अलग से बैंक खाता एवं लेखा का संधारण किया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी/कार्यान्वयन

एजेंसी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। महालेखाकार बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

17. वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट शीर्ष एवं स्वीकृत राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रू0 में)

	बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
1.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्रांश)		
(i)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग सं०–1, उपशीर्ष–0216– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड–1–2401001090216, विषयशीर्ष–31 – सहायता अनुदान–0216.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	11205.00	632.70
(ii)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग सं०–1, उपशीर्ष–0203–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(आर०के०वी०वाई०)(ए०सी०ए०),विपत्र कोड –1–2401007890203 , विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान–0203.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	2160.00	467.6592
(iii)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–मांग सं०–1, उपशीर्ष–0231–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड –1–2401007960231, विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान–0231.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	135.00	40.2408
	योग	13500.00	1140.60
2.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राज्यांश)		
(i)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग सं०–1, उपशीर्ष–0316–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्रकोड–1–2401001090316, विषय शीर्ष– 31–सहायता अनुदान–0316.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	7470.00	421.80
(ii)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष– 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग सं०–1, उपशीर्ष–0303–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०),विपत्र कोड–1– 2401007890303, विषय शीर्ष– 31–सहायता अनुदान–0303.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	1440.00	311.7728
(iii)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष– 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना–मांग सं०–1, उपशीर्ष–0331–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड–1–2401007960331, विषय शीर्ष– 31–सहायता अनुदान–0331.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	90.00	26.8272
	योग	9000.00	760.40
	सकल योग	22500.00	1901.00

18. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 / वि0 दिनांक–31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में राज्यादेश में माननीय मंत्री कृषि की स्वीकृति संचिका संख्या–रा०कृ०वि०यो०को०–29 / 2018 के पृ0सं0–14 / टि. पर दिनांक–08.10.2018 को एवं माननीय वित्त मंत्री की स्वीकृति संचिका संख्या– रा०कृ० वि०यो०को०–29 / 2018 के पृ0सं0–18 / टि. पर दिनांक–08.11.2018 को प्राप्त है।

19. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

20. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–रा०कृ०वि० यो०को०–29 / 2018 के पृ0सं0–26 / टि. पर दिनांक–19.12.2018 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–243 दिनांक–18.12.2018 है।।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

21.12.18

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।